



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025 ई०

अग्रहायण 26, 1947 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 429/उत्तरा०-वि०स०/2025

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

### अधिसूचना

सं. 429/उत्तरा०-वि०स०/2025:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में तथा अधिसूचना सं० 429/उत्तरा०-वि०स०/2025, दिनांक 22 अप्रैल, 2025, के आंशिक संशोधन में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से, उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

(ख) स्तंभ 2 में 17-सहस्रपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने, विद्यमान प्रविष्टि अर्थात् "उप जिलाधिकारी, कालसी" के स्थान पर "सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,

एन०टी० भूटिया,

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

किशन सिंह नेगी,

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड।

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 429/UKD-LA/2025  
Dated New Delhi, 17<sup>th</sup> December, 2025

NOTIFICATION

No. 429/UKD-LA/2025:- In pursuance of the provision of Sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and in partial modification of its earlier Notifications No. 429/UKD-LA/2025, dated 22<sup>nd</sup> April, 2025, the Election Commission of India, in consultation with the State Government of Uttarakhand, hereby makes the following amendment in the above notification, relating to the appointment of Electoral Registration Officer for the Assembly Constituency, in the State of Uttarakhand namely:-

- (b) The exiting entries, in column (2) against 17-Sahaspur Assembly Constituency, i.e. "Deputy District Officer, Kalsi" shall be substituted by "City Magistrate, Dehradun".

By Order,  
N.T. BHUTIA,  
Principal Secretary,  
Election Commission of India.

By Order,  
KISHAN SINGH NEGI,  
Deputy Chief Electoral Officer,  
Uttarakhand.